


14.06.2024:-पत्रावली आज पेशी में आई। प्रार्थी अधिवक्ता का मूल वाद पत्र खारिज हो गया। प्रार्थी मूल वाद पत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थना-पत्र में कोई कार्यवाही शेष नहीं रह जाती। मूल वादपत्र विद्धा होने के कारण प्रार्थी उक्त प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर टी ए में वर्तमान स्तर पर खारिज कि जाती है। पत्रावली नम्बर से काम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफ्तर हो।


रजदपक कार्यालय
एवं उपखण्ड न्याय
इनुमानपुर

